न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 83/2025 G.C.M.S. No. 2025/356 दर्ज दिनांक : 01.07.2025

अपीलार्थिगण:

1. पकाराम पुत्र करनाराम, उम्र वयस्क।
2. आदाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र वयस्क।
3. आम्बाराम पुत्र करनाराम, उम्र वयस्क।
4. कोजाराम पुत्र देवाराम, उम्र वयस्क।
5. गटाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र वयस्क।
6. गिरधरा पुत्र खीमला, उम्र वयस्क।
7. देमाराम पुत्र तेजा, उम्र वयस्क।
8. धनाराम पुत्र देवाराम, उम्र वयस्क के का.मु.–
   8/1 सोमतीदेवी पत्नि स्व. धनाराम
   8/2 वेलाराम पुत्र स्व. धनाराम
   8/3 लक्ष्मी कुमारी पुत्री स्व. धनाराम, जातियान मेघवाल, निवासीगण हरमू, तहसील सायला व जिला जालोर।
9. नेकाराम पुत्र देवाराम, उम्र वयस्क।
10. नेनाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र वयस्क।
11. पेन्टाराम पुत्र तेजा, उम्र वयस्क।
12. पना पुत्र डुंगरा, उम्र वयस्क।
13. पारसा पुत्र खीमला, उम्र वयस्क।
14. बुटी पत्नि तेजा, उम्र वयस्क।
15. भडकाराम पुत्र तेजाराम, उम्र वयस्क।
16. भुदरीया पुत्र चमना, उम्र वयस्क।
17. मेतकी पत्नि डुंगरा, उम्र वयस्क।
18. रेशमाराम पुत्र तेजा, उम्र वयस्क।
19. वचनाराम पुत्र डुंगरा, उम्र वयस्क।
20. वरजूदेवी पत्नि देवाराम, उम्र वयस्क।
21. वालाराम पुत्र डुंगरा, उम्र वयस्क।
22. श्रवण पुत्र तेजा, उम्र वयस्क।
23. सुजाराम पुत्र करना, उम्र वयस्क।
24. सोरम पुत्री तेजा, उम्र वयस्क।
25. गोपाराम पुत्र परबतीया, उम्र वयस्क।
26. नवूदेवी पुत्री परबतीया, उम्र वयस्क।
27. नाथाराम पुत्र परबतीया, उम्र वयस्क।
28. लादीया पुत्र पुरीया, उम्र वयस्क, समस्त जातियान मेगवंशी, निवासीगण हरमू, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. करताराम पुत्र मोटा
2. दुदाराम पुत्र मेरा
3. सवाराम पुत्र लाला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. रवाराम पुत्र लाला
5. होतीराम पुत्र लाला, समस्त जातियान मेघवाल, निवासीगण हरमू, तहसील सायला व जिला जालोर।
6. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
7. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा तिलोड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।
8. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा बागोड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।
9. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा जालोर, तहसील व जिला जालोर।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सायला, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2024 बअनवान करताराम वगैरह बनाम आदाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2025

पैरोकारः—

1. श्री सिकंदर अली सैयद, श्री अनिश, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शंभुदान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2024 बअनवान करताराम वगैरह बनाम आदाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या—1 से 5 (वादीगण) ने एक दावा अदालत माहतत के समक्ष खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस मजमुन का पेश किया था कि मौजा हरमू के वर्तमान खसरा नम्बर—545 रकबा 4.08 हैक्टर, खसरा नम्बर—546 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर—547 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर—548 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर—549 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर—550 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर—551 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर—552 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर—571 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर—618 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर—619 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर—95 रकबा 9.33 हैक्टर व खसरा नम्बर—10 रकबा 2.04 हैक्टर की आराजी आई हुई हैं। इस भूमि के पुराने खसरा नम्बर—7, 47, 192, 227, 247, 238, 237 थें एवं आगे इन्होंने यह भी वर्णित किया है कि प्रथम सेटलमेन्ट के पहले मोटा पुत्र मालाजी के कब्जाकाश्त की खातेदारी थीं। लेकिन प्रथम सेटलमेन्ट के समय गलती से मोटा के सभी वारिसान वजा, पुरा, भेरा, लालाजी व करताराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नाम खातेदारी दर्ज नहीं करके अकेले वजा पुत्र पुराजी के नाम दर्ज कर दी। वादी/रेस्पोंडेन्ट करताराम स्वयं तथा भेसा व लालाजी के पुत्रों ने यह दावा अपने-अपने 1/5-1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करने का दावा किया है। अदालत माहतत ने रेस्पोंडेन्ट्स संख्या-1 से 5 वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी हक प्राप्त करने के पर्याप्त सबूत नहीं लेने के बावजूद निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। वादीगण ने वाद पत्र के खसरा नम्बर-4 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रभूदान वगैरा की जागीर की भूमि थीं, जिससे प्रथम सेटलमेन्ट के पहले सवत् 2008 व 2009 में जागीरदार ही किसी भी व्यक्ति से काश्त करवाता था। इस कारण जागीरदार द्वारा सवत् 2008 व 2009 व 2011 में मोटा पुत्र माला से काश्त करवाने मात्र से वादीगण को खातेदारी हक लगभग 70 वर्ष बाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मात्र इन गिरदावरियों के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। प्रतिवादीगण संख्या-13 पाबु की मृत्यु हो चुकी हैं। दिनांक 18.11.2024 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या-13 पाबु के नोटिस तामील हेतु जारी किये गये हैं, लेकिन आगे कहीं भी यह वर्णित नहीं हैं कि उसका नोटिस तामील हुआ या नहीं, इस सम्बन्ध में इस पत्रावली पर कोई रिपोर्ट स्पष्ट नहीं हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या-13 पाबु की मृत्यु हुए करीब 6-7 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अदालत मातहत ने इस मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 ने अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद बाबत खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिनांक 24.06.2025 को निर्णित व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. वादपत्र व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1 से 29 मोटाजी के वारिसान जिनके वारिस करताराम, वजाजी, पुराजी, भैराजी व लालाजी हुए तथा मोटाजी के जीवनकाल में वजाजी का देहांत हो चुका था। वादग्रस्त आराजीयात मोटाजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान वजाजी, पुराजी, भैराजी, लालाजी व करताराम की संयुक्त कब्जाकाश्त की आराजी थीं। खसरा गिरदावरी संवत 2008 से 2009 में पुराने खसरा संख्या 247 में मोटा पुत्र माला का नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के साथ संवत 2011 की गिरदावरी में वादी करना तथा भाई लाला व भैरा का कब्जाकाश्त दर्ज किया गया। लेकिन भू-प्रबंध विभाग द्वारा खतौनी बंदोबस्त में बतौर खातेदार दर्ज नहीं किया गया, केवल रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 29 के पूर्वजों के नाम दर्ज किया गया। जबकि वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 03.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 व 14 से 29 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2025 को जवाब का अवसर बंद किया गया तथा पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत की गई। दिनांक 28.05.2025 को वादी साक्ष्य पूर्ण कर पत्रावली दिनांक 02.06.2025 को प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई तथा दिनांक 11.06.2025 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई एवं दिनांक 24.06.2025 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए।

4. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 की तामील नहीं करवाई गई एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 13 की तामील हेतु वादीगण को सम्मन-तलबाना पेश करने बाबत निर्देशित किए जाने के बावजूद आदेशिका अनुसार सम्मन तलबाना पेश होना स्पष्ट नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 13 को प्रेषित सम्मन की तामीली रिपोर्ट के अंकनानुसार उक्त प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी थीं। इसके बावजूद न तो वादीगण द्वारा उक्त मृतका के का.मु. बाबत कोई कार्यवाही की गई तथा न ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर कोई संज्ञान लिया गया तथा मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट है।

5. वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादीगण में से वादी संख्या 1 मोटाजी का पुत्र वादी संख्या 2 मोटाजी के पुत्र, भैराजी का पुत्र तथा वादी संख्या 3, 4 व 5 मोटाजी के पुत्र लालाजी के पुत्र के रूप में वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात मोटाजी की आराजी होने तथा प्रथम भूप्रबंध के समय कब्जाकाश्त मोटाजी के पांचों वारिसान पुत्रगण का कब्जाकाश्त होने के आधार पर 1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जोकि विरोधाभासपूर्ण व अस्पष्ट है। क्योंकि मोटाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के समस्त वारिसान का समान हिस्सा निहित होना माना जाए, जैसाकि वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित किया है, ऐसी स्थिति में मोटाजी के पांचों पुत्र का समान 1/5–1/5 हिस्सा होगा। अर्थात वादी करताराम का 1/5 भैराजी के वारिसान का 1/5 एवं लालाजी के वारिसान का 1/5 लेकिन वादीगण द्वारा संपूर्ण आराजीयात में वादीगण अर्थात करताराम स्वयं, भैराजी के वारिस एवं लालाजी के वारिस का 1/5 हिस्सा होना अनुतोष में चाहा गया है। जोकि पूर्णतया विरोधाभासपूर्ण व अस्पष्ट है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर कोई गौर किए बिना व विवेचन किए बिना अपीलधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने, साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही वादी गवाहों से अधिवक्ता प्रतिवादी को जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं न ही प्रकरण में वादीगण गवाहों से अधिवक्ता प्रतिवादी से जिरह करवाई गई। अर्थात साक्ष्यों का भली–भांति परीक्षण नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में ऐसे गवाह साक्ष्य के रूप में स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष एवं प्रस्तुत साक्ष्य तथा वादग्रस्त आराजीयात के मूलभूत भू–अभिलेखीय दस्तावेजात का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में कोई विवेचन व निर्णयन किए बिना तथा अपने विनिश्चय का कारण दर्शित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2024 बअनवान करताराम वगैरह बनाम आदाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में यथाविहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली